राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
E-mail: rajssa.training@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020–21/ 17627 **दिनांक :** 23/12/2020

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय :– कक्षा स्तर एवं न्यून स्तर की कार्यपुस्तिकाओं के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा 1–5 के विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर तथा कक्षा 3–8 के न्यून स्तर के विद्यार्थियों हेतु साथी, सीख एवं समर्थ कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके संबंध में आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है –

- जिन प्राथमिक विद्यालयो में समर्थ कार्यपुस्तिकाओं (कक्षा स्तर 5–6) का उपयोग संभव नहीं है उन पीईईओ क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा कर संबंधित पीईईओ कार्यपुस्तिकाओं को निकटतम अन्य विद्यालय (उ0प्रा0/मा0/उ0मा0) में अथवा अन्य पीईईओ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए।
- जिन ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालय पर कक्षा स्तर की कार्यपुस्तिका कक्षा नामांकन से अधिक है तथा उनका उपयोग संभव नहीं है। उन कार्यपुस्तिकाओं की आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय/पीईईओ/ब्लॉक पर पहुंच सुनिश्चित कराए।
- पीईईओ को वितरण के पश्चात शेष रही पुस्तिकाएं ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रख लें।
- कार्यपुस्तिका वितरण की रिपोर्ट सीडीईओ एवं एडीपीसी के लॉगिन पर उपलब्ध है अतः नियमित रूप से अवलोकन कर कार्यपुस्तिकाओं का शत प्रतिशत वितरण विद्यार्थियों तक शीघ्र सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार कार्यपुस्तिकाओं की आवश्यकतानुसार पुनः वितरण की सूचना का समस्त पीईईओ, ब्लॉक व जिला कार्यालय पर ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण किया जाए। ताकि शीघ्र ही शाला दर्पण पर उपलब्ध करवाए जाने वाले संबंधित मॉड्यूल में अपडेशन किया जा सके।

www.rajsevak.com

23.12.20
(एम.आर.बगड़िया)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/प्रशिक्षण/2020–21/ 17627 **दिनांक :** 23/12/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. उपायुक्त/उपनिदेशक, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि मॉड्यूल के संबंध में एनआईसी के साथ समन्वय कर कार्य सम्पादित कराने का श्रम कराए।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, संबंधित जिले।
5. कार्यालय प्रति।

23.12.20
उपायुक्त–द्वितीय